

# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 205/2023  
दायर दिनांक :- 21.08.2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/29  
निर्णय दिनांक :- 03.01.2025

1. आदूराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील आउ जिला फलोदी

—प्रार्थी

## बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. चूनी पत्नी भूराराम जाति मेगवाल निवासी बाबा का धोरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. बीजाराम पुत्र भूराराम जाति मेगवाल नि. बाबा का धोरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. रामूराम पुत्र भूराराम जाति मेगवाल निवासी बाबा का धोरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. जेठाराम पुत्र आईदानराम जाति मेगवाल नि. बाबा का धोरा तह. घंटियाली जिला फलोदी
6. हडमानराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी कृष्णनगर तहसील बापिणी जिला फलोदी
7. कालूसिंह उर्फ गजेसिंह पुत्र अखेसिंह जाति राजपूत नि. चाखू तह. घंटियाली जिला फलोदी
8. गायड़सिंह पुत्र अखेसिंह जाति राजपूत निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. सवाईसिंह पुत्र अखेसिंह जाति राजपूत निवासी चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. महेन्द्रसिंह पुत्र कुम्भसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया तहसील आउ जिला फलोदी
11. गमू कंवर पत्नी गायड़सिंह जाति राजपूत निवासी लूम्बासर तहसील आउ जिला फलोदी
12. जगदीशसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी लूम्बासर तहसील आउ जिला फलोदी
13. तखतराज पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत निवासी लूम्बासर तहसील आउ जिला फलोदी
14. माधवराज उर्फ इन्द्रसिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत नि. लूम्बासर तहसील आउ
15. हुकमसिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत निवासी लूम्बासर तहसील आउ जिला फलोदी
16. ग्राम पंचायत बाबा का धोरा पंचायत समिति घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी  
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काशत की भूमि खेत खसरा नम्बर 561/7 रकबा 5.2609 हैक्टेयर ग्राम बाबा का धोरा फटवार हल्का बाबा का धोरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा

सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)

की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार घंटियाली द्वारा दिनांक 18.06.2023 को जारी आदेश क्र संख्या 257 की पालना में दिनांक 06.06.2023 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 06.06.2023 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबन्दी नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 06.06.2023 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 16 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाबा का धोरा पटवार हल्का बाबा का धोरा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 560/7 रकबा 5.2609 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबन्दी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 06.06.2023 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बाबा का धोरा पटवार हल्का बाबा का धोरा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 560/7 रकबा 5.2609 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 06.06.2023 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।


सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)

### आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाबा का धोरा पटवार हल्का बाबा का धोरा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 560/7 रकबा 5.2609 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 06.06.2023 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गड्ढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
 (सहायक कलेक्टर, R.A.S.)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाप (फ़लोदी)